न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08/2016 नामान्तरकरण अपील

1. मूलचन्द पुत्र गेंदीलाल
2. अम्बालाल पुत्र गेंदीलाल
3. हरफूल पुत्र गेंदीलाल
4. भागौता पुत्र गेंदीलाल

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम मूंडिया तहसील लालसोट जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. दिनेश पुत्र रामसहाय दत्तक पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मूंडिया तहसील लालसोट जिला दौसा
2. पुष्पा देवी पत्नि जगदीश जाति ब्राहमण निवासी ग्राम तहसील लालसोट जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 259 दिनांक 20.07.97 उक्त नामान्तरकरण जन अभाव अभियोग शिविर शिवसिंहपुरा में मृतक जगदीश के नाम खोला गया है।

उपस्थिति :– 1.श्री के के शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
2.श्री संजीव जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स 1, 2, अनुपस्थित।

–:आदेश:– दिनांक 09.03.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मूंडिया तहसील लालसोट स्थित आराजी ख.न. 74 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा वादी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट मृतक जगदीश की खातेदारी में हिस्सा 1/4 है, वर्तमान खातेदारी में राजस्व अभिलेख में जगदीश मृतक के नाम उक्त नामान्तरकरण के तहत जमाबन्दी मे अंकन कर दिया। उक्त भूमि को आगे विवादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट व अन्य खातेदारो के बीच सक्षम न्यायालय से विभाजन दिनांक 25.04.1995 को हो गया था। जिसके अनुसार मृतक जगदीश के नाम ख.न. 74/1 की कृषि भूमि उसके हिस्से मे आई उक्त तकास्मे के बाद मृतक जगदीश ने अपने हिस्से की 74/1 रकबा 6 बीघा में से 5 बीघा भूमि पश्चिम दिशा की तरफ दिनांक 02.11.1995 को बेचान कर दिया व उसका विक्रय पत्र अपीलान्ट के हक में दिनांक 02.11.1995 को उप पंजीयक लालसोट के यहां

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

रजिस्ट्री तस्दीक करा दी व उक्त भूमि पर अपीलान्ट का वास्तविक कब्जा करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकण सं. 250 दिनांक 08.11.1995 को तस्दीक किया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण के आधार पर अपीलान्ट उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त नामान्तरकरण के अस्तित्व में रहते हुए शिवसिंहपुरा के शिविर में दिनांक 20.07.1997 को जन अभाव अभियोग शिविर में सहायक कलक्टर ने उपरोक्त विवादित नामान्तरकरण सं. 259 दिनांक 20.07.1997 को गलत तौर पर मृतक जगदीश के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट्स पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की नामान्तरकरण 259 दिनांक 20.07.1997 विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात का सही प्रकार से अवलोकन नही किया। नामान्तरकरण सं. 259 जो की मृत व्यक्ति जगदीश के नाम तस्दीक किया गया है, उक्त भूमि का नामान्तरकरण सं. 250 जगदीश के पश्चात अपीलान्ट के नाम खुल चुका था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को वगैर नोटिस दिये उक्त नामान्तरकरण मृतक जगदीश के नाम खोल दिया। अपीलान्ट ने उक्त आराजी भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है। जिस पर नामान्तरकरण सं. 250 के जरिये परफेक्ट टाईटल प्राप्त हो चुके है। नामान्तरकरण सं. 250 अभी भी अस्तित्व में है, जिसे निरस्त नही किया गया है। रेस्पोडेन्ट गलत नामान्तरकरण के आधार पर अपने नाम दूसरा विरासत का नामान्तरकरण खुलवाकर जगदीश द्वारा रजिस्टर्ड बेचान की गई भूमि को पुनः बेचान करके अपने नाम करवाकर रहन व हस्तानान्तरण करवाना चाहता है। अपीलान्ट को नामान्तरकरण सं. 259 में ख.न. 9 में पक्षकार रहते हुए। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर नही दिया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। रेस्पोडेन्ट व अन्य खातेदारो के बीच विभाजन की डिक्री दिनांक 25.4.1995 को पारित हुई थी। उसके विरूद्ध ब्रदी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र में विभाजन की डिक्री को निरस्त कर पुनः सुनवाई सबूत कर निर्णय करने के आदेश पारित किये। जो सक्षम न्यायालय में लम्बित है।विभाजन की डिक्री होने के बाद जगदीश पुत्र गेंदालाल ने अपने हिस्से की भूमि में से 5 बीघा भूमि का विक्रय पत्र अपीलान्ट के नाम तस्दीक करवा दिया था। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट्स के पक्ष में दिनांक 08.11.1995 को नामान्तरकरण

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सं. 250 तस्दीक कर दिया। उक्त नामान्तरकरण के अस्तित्व में रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तरकरण सं. 259 दिनांक 20.07.1997 को मरे हुए व्यक्ति जगदीश के हक में करने को कोई अधिकार नही है। उक्त जगदीश मरं गया इसका स्पष्ट सबूत है की आदेश 9 नियम 13 का जो निर्णय दिया गया उसी में जगदीश पुत्र गेंदा को मृत बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 15.05.1997 को जो आदेश हुआ उससे पहले की जगदीश का देहान्त हो चुका था । क्योकि जगदीश के स्थान पर दिनेश को पक्षकार बनाया गया था। अतः प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 259 दिनांक 20.07.1997 ग्राम मूंडिया तहसील लालसोट को निरस्त फरमावे।

बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स उपस्थित नही हुए। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि नामान्तरकरण सं. 250 दिनांक 08.11.1995 के अनुसार ख.न. 74/1 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि खातेदार जगदीश पुत्र गेंदालाल द्वारा अपीलान्ट्स मूलचन्द, अम्बालाल, हरफूल, भागौता पिसरान गेंदीलाल जाति गुर्जर निवासी मूंडिया ग्राम मूंडिया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किये जाने पर उक्त भूमि अपीलान्ट्स के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है। किन्तु इसके पश्चात नामान्तरकरण सं. 259 में मृतक जगदीश पुत्र गेंदालाल के नाम हिस्सा 1/4 पुनः दर्ज कर दी गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 259 दिनांक 20.07.1997 ग्राम मूंडिया को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लालसोट प्रकरण में अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर देकर नामान्तरकरण सं. 250 दिनांक 08.11.1995 ग्राम मूंडिया एवं सन्दर्भित अन्य दस्तावेजात का अवलोकन कर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा